

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]

No. 2294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/ आषाढ़ 1, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ASHADHA 1, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

का.आ. 3032(अ)।—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709बी (बोनी (दिल्ली) के निकट रास्ता-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत, मेरठ, शामली को जोड़ने वाला और सहारनपुर के निकट रास्ता-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 709बी (हरियाणा राज्य में पानीपत के निकट रास्ता-709 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश राज्य में शामली, मुजफ्फरनगर, ब्रीपा, बिजनौर को जोड़ने वाला और नगिना के निकट रास्ता-734 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 709बी (उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़मुक्तेश्वर के निकट रास्ता-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेरठ, बुधना, शामली, हरियाणा राज्य में करनाल, जींद, सुझ की जोड़ने वाला और शिवानी के निकट रास्ता-709 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 731 (उत्तर प्रदेश राज्य में सैयदपुर के निकट रास्ता-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बुथाना, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजहापुर को जोड़ने वाला और पलिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग), 734 (उत्तर प्रदेश राज्य में गजिबाबाद के निकट रास्ता-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नगिना, उत्तराखंड राज्य में काशीपुर को जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में धुशवानाद के निकट रास्ता-9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 319बी (उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के निकट रास्ता-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और मुंगरा बादशाहपुर के निकट रास्ता-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 326बी (उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ के निकट रास्ता-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मऊ, टीखा को जोड़ते हुए और फैफला के निकट रास्ता-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 120बी (उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ के निकट रास्ता-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और दोहरीघाट के निकट रास्ता-24 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), 330बी (उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली के निकट रास्ता-30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बुधौन, हथरस को जोड़ते हुए और मथुरा के निकट रास्ता-44 के साथ अपने जंक्शन पर

3504 GJ/2018

(1)

14/11/18

Project Director
National Highway Authority of India
PIU-Baghat

समाप्त होने वाला राजमार्ग), 334डी (उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ के निकट रास-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और खैर, जेवर को जोड़ते हुए और हरियाणा राज्य में पलवल के निकट रास-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) और 128ए (उत्तर प्रदेश राज्य में मोहम्मदपुर के निकट रास-28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बादशाहपुर को जोड़ते हुए और रास-31 जौनपुर के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा.सं. एनएच-14013/6/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2018

S. O. 3032(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrust National Highway No. 709B, (The highway starting from its junction with NH-9 near Loni (Delhi) connecting Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the State of Uttar Pradesh), 709AD (The highway starting from its junction with NH-709 near Panipat in the state of Haryana connecting to Shamli, Muzaffarnagar, Rhoja, Bijnor and terminating at its junction with NH-734 near Nagina in the state of Uttar Pradesh), 709A (The highway starting from its junction with NH-9 near Garhmukteswar connecting Meerut, Budhana, Shamli in the state of Uttar Pradesh, Karnal, Jind, Mundal and terminating at its junction with NH-709 near Bhiwani in the state of Haryana), 731 (The highway starting from its junction with NH-31 near Saidpur connecting Khuthan, Jaunpur, Sultanpur, Lucknow, Hardoi, Shajahanpur and terminating at Paliya in the State of Uttar Pradesh), 734 (The highway starting from its junction with NH-34 near Najibabad connecting Nagina in the State of Uttar Pradesh, Kashiapur in the State of Uttarakhand and terminating at its junction with NH-9 near Moradabad in the state of Uttar Pradesh), 319D (The highway starting from its junction with NH-19 near Allahabad and terminating at its junction with NH-31 near Mungra Badshahpur in the state of Uttar Pradesh), 128B (The highway starting from its junction with NH-28 near Azamgarh connecting Mau, Deekha and terminating at its junction with NH-31 near Phephna), 128C (The highway starting from its junction with NH-28 near Azamgarh and terminating at its junction with NH-24 near Dohrigat in the state of Uttar Pradesh), 530B (The highway starting from its junction with NH-30 near Bareilly connecting to Budaun, Hathras, and terminating at its junction with NH-44 near Mathura in the state of Uttar Pradesh), 334D (The highway starting from its junction with NH-34 near Aligarh and connecting Khair, Jewar in the state of Uttar Pradesh and terminating at its junction with NH-44 near Palwal in the state of Haryana) and 128A (The highway starting from its junction with NH-28 near Mohammadpur connecting to Badshapur and terminating at its junction with NH-31 Jaunpur in the state of Uttar Pradesh) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14013/6/2018-P&M]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

क्र.आ. 3033).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एत एवद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कार्य इस शर्त के अध्वधीत राज्य सरकार द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस

14/11/18

Pro Project Director
National Highway Authority of India
PIU-Baghpat

Scanned by CamScanner

प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(1)	तालिका (2)	(3)
24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 11 किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर, सं. 24 [किमी 8.340 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-गजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लेखनऊ खंड तक छोड़कर), सं. 24ए, सं. 27 किमी 0.000 (रास सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रास 27 के नए संरेखण) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, 28सी किमी 43.000 से किमी 93.000 और किमी 99.000 से किमी 150.200 (वाराणसी-बहराइच-रूपेदिहा खंड) तक खंड को छोड़कर, सं. 29 [किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-मोसबपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 56 [किमी 11.500 से किमी 134.700 (लेखनऊ-सुल्तानपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 58 [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए [किमी 0.00 से किमी 16.00 (उदमपुर-गणेशपुर) तक खंड छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 तक (भागलपुर के निकट उत्तराखंड/उ.प्र. सीमा से जसपुर खंड के निकट उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा तक खंड छोड़कर) और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सीतारगंज-बरेली) तक खंड छोड़कर], सं. 75 किमी 90.00 से किमी 103.00 (ग. प्र./उ. प्र. सीमा से दासी) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, रा. सं. 00 किमी 7.43 से किमी 130.100 (आनपुर-कनवर खंड) तक खंड को छोड़कर, सं. 91 किमी 23.600 से किमी 414.000 (गजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर, सं. 91ए, सं. 92, सं. 93, किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर, सं. 96 (नई रा. सं. 330) किमी 95.100 से किमी 82.000 (कदका मोड़-सुल्तानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर, सं. 1233 किमी 122.270 से किमी 299.950 (वागरे सेतु-इंजी नैपाल सीमा से वाराणसी खंड) तक छोड़कर और सं. 235 किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड़) तक खंड को छोड़कर, नई रास सं. 727ए, नई रास सं. 790, नई रास सं. 730ए, नई रास सं. 931 और नई रास सं. 931ए, नई रास सं. 330बी, नई रास सं. 334ए, नई रास सं. 394बी, नई रास सं. 219, नई रास सं. 227ए और नई रास सं. 734ए, नई रास सं. 730, नई रास सं. 724सी, नई रास सं. 727बी, नई रास सं. 727ए, नई रास सं. 727बी, नई रास सं. 328, नई रास सं. 328ए, नई रास सं. 330डी, नई रास सं. 730सी, नई रास सं. 731, नई रास सं. 727सी, नई रास सं. 730ए, नई रास सं. 730सी, नई रास सं. 335सी और नई रास सं. 135ए जो उक्त भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।

(फा.सं. एनएच-14013/6/2018-पी एंड एस)

राजेश गुप्ता, उप सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2025(अ), दिनांकित 21.05.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।